रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2018, शनिवार/वैशाख 2—वैशाख 8, 1940
No. 17] NEW DELHI, APRIL 22— APRIL 28, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 2— VAISAKHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप–धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल, योधक दूरसंचार सेवा समूह 'ख' एवं 'ग' पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार सेवा (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.–**इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1, में हैं इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए ''शेप–1'' से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :–

(i) कोड अक्षर शेप (एस एच ए पी ई) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवण शक्ति
ए	–	उपांग (उपैन्डेजेस)
पी	–	शारीरिक क्षमता
ई	–	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी–1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतरग्रस्त है या नहीं पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं;

(ग) ''एस'' घटक को छोडकर नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाडी भूखंड़ों पर और लम्बे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ड.) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

6. **अधिवर्षिता.–**इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा।

परंतु यह है कि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा।

7. **अन्यदेशीय अपात्रता.–**कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं हैं, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियम के अंतर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान को इस बल में नियुक्ति या नियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

8. **सेवा का दायित्व.–**इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप निरीक्षक (संचार)	301* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर –6 (35400–112400/–रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
पुरुष और महिला की आयु 30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पैंतीस वर्ष तक साधारण अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लिए प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकेगी) **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**1. शैक्षिक अर्हताएं :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स और संसूचना या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी या भौतिकी, रसायन और गणित सहित विज्ञान में डिग्री। 2. शारीरिक और चिकित्सा मानकः– (क) ऊँचाई : पुरुष के लिए : 170 से.मी. महिला के लिए : 157 से.मी. (ख) सीना : पुरुष के लिए : बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाव : कम से कम 5 से.मी. महिला के लिए : लागू नहीं होता। (ग) **वजन** : (पुरुषों और महिलाओं के लिए) : चिकित्सीय मानकों के अनुसार वजन और ऊँचाई के अनुपात में। ऊँचाई और सीना में शिथिलीकरण नीचे दिए गए अभ्यर्थियों के अनुसार अनुज्ञेय होगाः– **ऊँचाई** : गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 165 से.मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 से.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 से.मी. होगी। **सीना** : गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले पुरूष अभ्यर्थियों की और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 78 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीना 76 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। **चिकित्सा मानक :** (अ) दृष्टि : बेहतर आँख खराब आँख (i) निकट दृष्टि एन/6 एन/9 (निकट दृष्टि के लिए चश्मे के साथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए) केवल। (ii) निकट दृष्टि : 6/6 6/9 (चश्मे से किसी भी तरह के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है)। **टिप्पण** : दाहिने हाथ वाले व्यक्ति का दाहिने आँख सबसे बेहतर है और इसके विपरीत है। (ब) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानु, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हों।

	3. शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। 4. व्यवसायिक योग्यता:– एक वर्ष तक परीवीक्षा अवधि के विस्तार के अधीन परीवीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात्:– (i) पलाटून कमाण्डर (कंडेंस) पाठ्यक्रम। (ii) सीनियर बुनियादी संचार पाठ्यक्रम।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों की पुनर्नियोजन द्वारा; और (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : सहायक उप–निरीक्षक (संचार) जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300/–रु.) में छः वर्ष की नियमित सेवा है और समय–समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा विहित बुनियादी या प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिस में स्तर–5 (29200–92300/–रु.) में नियमित आधार पर सहायक उप–निरीक्षक (संचार) के रूप में छः वर्ष सेवा की हो और ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स और संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी या भौतिकी, रसायन और गणित सहित विज्ञान में डिग्री अर्हक की हो। **टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुनर्नियोजन : सेवानिवृत्त कार्मिक के पुनर्नियोजन के लिए जिन्होंने सशस्त्र बलों में समान या समकक्ष पद का आयोजन किया है, उपर्युक्त स्तंभ (7) के तहत सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते है। **टिप्पण 1 :** सशस्त्र बलों के ऐसे अधिकारियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त या सेवानिवृत्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 2 :** पुनर्नियोजन अधिकारियों को सशस्त्र सीमा बल में शामिल होने के लिए वरिष्ठ संचार पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):– 1. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल –अध्यक्ष 2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल –सदस्य 3. उप कमांडेंट (संचार), सशस्त्र सीमा बल –सदस्य **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए)** 1. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल –अध्यक्ष 2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल –सदस्य 3. उप कमांडेंट (संचार), सशस्त्र सीमा बल –सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सहायक उप–निरीक्षक (संचार)	1357* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर –5 (29200–92300/–रु.)

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों की पुनर्नियोजन द्वारा

(11)
प्रोन्नति : हैड कांस्टेबल (संचार) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100/– रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और समय–समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा विहित बुनियादी या प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। **टिप्पण 1** : सीधी भर्ती हैड कांस्टेबल (संचार) और प्रोन्नत हैड कांस्टेबल (संचार) दोनों को तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यदि कोई हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिस में स्तर–4 (25500–81100/–रु.) में नियमित आधार पर हैड कॉंस्टेबल (संचार) के रूप में पाँच वर्ष सेवा की हो और ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य सहित इलैक्ट्रोनिक्स में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या मान्यताप्राप्त संस्थान से संचार या कम्प्यूटर में या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से तीन वर्षीय इलैक्ट्रोनिक्स या संचार या कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या भौतिकी, रसायन और गणित सहित विज्ञान में 10+2 अर्हक हो। **टिप्पण 1** : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **पुनर्नियोजन** : सेवानिवृत्त कार्मिक के पुनर्नियोजन के लिए जिन्होंने सशस्त्र बलों में समान या समकक्ष पद का आयोजन किया है और किसी मान्यता प्राप्त

बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य सहित इलैक्ट्रोनिक्स में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र या मान्यताप्राप्त संस्थान से संचार या कम्प्यूटर में या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से तीन वर्षीय इलैक्ट्रोनिक्स या संचार या कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या भौतिकी, रसायन और गणित सहित विज्ञान में 10+2 पास हो। **टिप्पण 1 :** सशस्त्र बलों के ऐसे अधिकारियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त या सेवानिवृत्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 2 :** पुनर्नियोजन अधिकारियों को सशस्त्र सीमा बल में शामिल होने के लिए जूनियर बुनियादी संचार पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):– 1. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल –अध्यक्ष 2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल –सदस्य 3. उप कमांडेंट (संचार), सशस्त्र सीमा बल –सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कॉंस्टेबल (संचार)	2583* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर–4 (25500–81100/–रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
पुरूष और महिला की आयु 18 और 25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए तीस वर्ष तक साधारण अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लिए प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकेगी) **टिप्पण :** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**1. शैक्षिक अर्हताएं :** (i) किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से भौतिकी, रसायन और गणित सहित विज्ञान में इन्टरमीडिएट यासमतुल्य। (ii) इलैक्ट्रोनिक्स या संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। **2. शारीरिक और चिकित्सा मानक :** (क) ऊंचाई : पुरुष के लिए : 170 से.मी. महिला के लिए : 157 से.मी. (ख) सीना : पुरुष के लिए : बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाव : कम से कम 5 से. मी. महिला के लिए : लागू नहीं होता। (ग) वजन : (पुरुषों और महिलाओं के लिए) : चिकित्सीय मानकों के अनुसार वजन और ऊंचाई के अनुपात में। ऊंचाई और सीना में शिथिलीकरण नीचे दिए गए अभ्यर्थियों के अनुसार अनुज्ञेय होगा : ऊंचाई : गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 165 से. मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसुचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 से.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 से.मी. होगी। **सीना :** गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 78 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीना 76 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। **चिकित्सा मानक :** (अ) दृष्टि : बेहतर आँख खराब आँख (i) निकट दृष्टि एन/6 एन/9 (निकट दृष्टि के लिए चश्मे के साथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए) केवल। (ii) निकट दृष्टि : 6/6 6/9 (चश्मे से किसी भी तरह के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है)। **टिप्पण :** दाहिने हाथ वाले व्यक्ति का दाहिने आँख सबसे बेहतर है और इसके विपरीत है।

	(ब) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानु, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हों। 3. शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। 4. परीवीक्षा अवधि के दौरान बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष के विस्तार के अधीन होना चाहिए अन्यथा सेवाएं समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगी। **5. व्यवसायिक योग्यताः** समय–समय पर यथा संशोधित नियत अवसरों के भीतर जूनियर बुनियादी संचार पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नति : कॉंस्टेबल (संचार) जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर–3 (21700–69100/–रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और समय–समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा विहित बुनियादी या प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए):– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल –अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल –सदस्य 3. सहायक कमांडेंट (संचार), सशस्त्र सीमा बल –सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. कॉंस्टेबल (संचार)	191* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर–3 (21700–69100/–रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
पुरूष और महिला की आयु 18 और 25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए तीस वर्ष तक साधारण अभ्यर्थियों के लिए पैंतीस वर्ष तक अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लिए प्रर्वग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकेगी) **टिप्पण :** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख अंतिम तारीख होगी।	**1. शैक्षिक अर्हताएं :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। **2. शारीरिक और चिकित्सा मानकः–** (क) ऊँचाई : पुरूष के लिए :170 से.मी. महिला के लिए :157 से.मी. (ख) सीना : पुरूष के लिए : बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाव : कम से कम 5 से.मी.

(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	महिला के लिए : लागू नहीं होता। (ग) वजन : (पुरूषों और महिलाओं के लिए) : चिकित्सीय मानकों के अनुसार वजन और ऊँचाई के अनुपात में। ऊँचाई और सीना में शिथिलीकरण नीचे दिए गए अभ्यर्थियों के अनुसार अनुज्ञेय होगाः– **ऊँचाई :** गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेद्यालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 165 से.मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 से.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 से.मी. होगी। **सीना :** गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले पुरूष अभ्यर्थियों की और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेद्यालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 78 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरूष अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीना 76 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगी। **चिकित्सा मानक :** (अ) दृष्टि : बेहतर आँख खराब आँख (i) निकट दृष्टि एन/6 एन/9 (निकट दृष्टि के लिए चश्मे के साथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए) केवल। (ii) निकट दृष्टि : 6/6 6/9 (चश्मे से किसी भी तरह के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है)। **टिप्पण :** दाहने हाथ वाले व्यक्ति का दाहने आँख सबसे बेहतर है और इसके विपरीत है। (ब) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानु, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा पड़ने की संभावना हों। 3. शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। 4. परीवीक्षा अवधि के दौरान बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष के विस्तार के अधीन होना चाहिए अन्यथा सेवाएं समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगी। **5. व्यवसायिक योग्यताः** समय–समय पर यथा संशोधित नियत अवसरों के भीतर जूनियर बुनियादी संचार पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
आमेलन : (i) आमेलन के लिए इच्छुक कॉंस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) जिन्होंने अपनी श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनकी आयु चालीस वर्ष के भीतर हो एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और विहित बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो। (ii) समय–समय पर तय किए गए निर्धारित परिवर्तनों के भीतर आमेलन के बाद जूनियर बुनियादी संचार पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(12)		(13)
विभागीय चयन या पुष्टिकरण समिति (चयन या पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए):–		लागू नहीं होता।
1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल	–अध्यक्ष	
2. उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल	–सदस्य	
3. सहायक कमांडेंट (संचार), सशस्त्र सीमा बल	–सदस्य	

[फा. सं. 17/5/एसएसबी/सीएससी/क्षेत्र/समूह 'ख' और 'ग'/2014/एसएफएस]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd April, 2018

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Group 'B' and 'C' posts of Combatised Telecommunication Service in the Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation : For the purposes of this rule, the explanation "SHAPE-I" shall means Medical Category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eye-sight.

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under :-

(a) Fit for all duties anywhere.

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears and eyes.

(c) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(e) Permanently unfit for duties.

6. Superannuation.—The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he/she attains the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of the month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty seven years.

7. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India, shall except with the prior permission of the Central Government in writing, shall be appointed under these rules.

Provided that nothing contained in this rule bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Liability of service.—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub-Inspector (Communication).	301* (2018) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 6 (Rs.35400-112400/-).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Male and Female candidates upto thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto the age of thirty five years in the case of general candidates and upto forty years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**1. Educational Qualification :** Degree in Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology Engineering or Science with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised University or Institution. **2. Physical and Medical Standards:-** (a) Height : For males : 170 cms. For females : 157 cms. (b) Chest: For males: **Unexpanded :** 80 cms. **Expanded:** Minimum expansion 5 cms. For female: Not applicable. (c) Weight: (For males and females) : Proportionate to height and age as per Medical standards.

	The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:- **Height :** The minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. for males and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females. **Chest :** The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). **Medical Standards:** (a) Eye Sight: Better eye Worse eye (i) Near vision N/6 N/9 (Should be able to read with glasses for near vision) only. (ii) Distance vision: 6/6 6/9 (Visual correction of any kind is not permitted even by glasses). **Note :** In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. 3. Must qualify the physical efficiency and written test. **4. Professional Qualifications:** Should qualify the following courses during probation period subject to extension of probation period by one year, namely :-. (i) Platoon Commander (Condensed) Course. (ii) Senior Basic Communication Course.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not-applicable	Two years	(i) 75% by promotion failing which by deputation or re-employment of Armed Forces Personnel; and (ii) 25% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Assistant Sub-Inspector (Communication) with six years regular service in the level-5 (Rs.29200-92300/-) of the pay matrix and have successfully qualified basic or promotional courses as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officer of the Central Government or State Government or Union Territory Administration - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Communication) in level-5 (Rs.29200-92300/) of the pay matrix in the parent cadre or department and; (b) Possesses Degree in Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology Engineering or Science with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised University or Institution. **Note 1 :** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Re-employment:** Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and possessing educational qualification prescribed for direct recruits under column (7) above. **Note 1 :**The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, shall also be considered for deputation. Such person shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 2 :**The re-employed officers shall have to successfully qualify Senior Basic Communication Course on their joining in Sashastra Seema Bal.

If a departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- 1. Deputy Inspector General or Deputy Director, Sashastra Seema Bal -Chairman 2. Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; and 3. Deputy Commandant (Communication), Sashastra Seema Bal -Member **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :-** 1. Deputy Inspector General or Deputy Director, Sashastra Seema Bal -Chairman 2. Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; and 3. Deputy Commandant (Communication), Sashastra Seema Bal -Member.	Not-applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Sub-Inspector (Communication).	1357* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 5 (Rs. 29200-92300/-).

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not-applicable	Not-applicable

(8)	(9)	(10)
Not- applicable	Not- applicable	By promotion failing which by deputation or re-employment of Armed Forces Personnel.

(11)

Promotion: Head Constable (Communication) with five years regular service in the level-4 (Rs.25500-81100/-) of the pay matrix and have successfully qualified basic or promotional courses as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.

Note 1 : Both the directly recruited Head Constable (Communication) and promoted Head Constable (Communication) must have passed technical test as may be prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal, if any.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration : -

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years regular service in the grade of Head Constable (Communication) in level-4 (Rs.25500-81100/-) of the pay matrix in the parent cadre or department; and

(b) have passed matriculation or equivalent from a recognised Board with two years Industrial Training Institute certificate in Electronics or Communication or Computers from a recognised Institute or 10th Class pass from a recognised Board with three years Diploma in Electronics or Communication or Computer or Information Technology from a recognised University or Institute or 10+2 pass with Physics, Chemistry and Mathematics.

Note 1 : The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.

Re-employment : Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and should have passed matriculation or equivalent from a recognised Board with two years Industrial Training Institute certificate in Electronics or Communication or Computers from a recognised Institute or 10th Class pass from a recognised Board with three years Diploma in Electronics or Communication or Computers or Information Technology from a recognised University or Institute or 10+2 pass with Physics, Chemistry and Mathematics.

Note 1 : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, shall also be considered for deputation. Such person shall be given deputation term up to the date on which they are due for release from Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment.

Note 2 : The re-employed officers shall have to successfully qualify Junior Basic Communication Course on their joining in Sashastra Seema Bal.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- 1. Deputy Inspector General or Deputy Director, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; and 3. Deputy Commandant (Communication), Sashastra Seema Bal - Member	Not- applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Head Constable (Communication)	2583* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-).

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Male and Female candidates between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of thirty years in the case of general candidates and upto forty years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**1. Educational Qualification :-** (i) Intermediate or equivalent passed in Science with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised Board or University; or (ii) Should have a three years diploma in Electronics or Communication or Computer Science, or Information Technology from a recognised Institute. **2. Physical and Medical Standards:-** (a) Height : For males : 170 cms. For females : 157 cms. (b) Chest : For male: Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5 cms. **For female :** Not applicable (c) Weight: (For males and females) Proportionate to height and age as per Medical standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:- **Height:** Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. for male and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females. **Chest :** The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram,

		Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). **Medical Standards:** (a) Eye Sight : Better eye Worse eye (i) Near vision N/6 N/9 (Should be able to read with glasses for near vision) only. (ii) Distance vision: 6/6 6/9 (Visual correction of any kind is not permitted even by glasses). Note: In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. 3. Must qualify the Physical efficiency and written test. 4. Should qualify Basic Recruit Training Course during probation period subject to extension by one year otherwise services shall be liable to be terminated. **5. Professional Qualifications:-** Should qualify the Junior Basic Communication Course within prescribed chances as amended from time to time.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 10 percent by promotion; (ii) 90 percent by direct recruitment.

(11)
Promotion: Constable (Communication) of Sashastra Seema Bal with five years regular service in the level-3 (Rs.21700-69100/-) of the pay matrix and have successfully qualified basic or promotional courses as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; and 3. Assistant Commandant (Communication), Sashastra Seema Bal -Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Constable (Communication)	191* (2018) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs.21700-69100/-).	Not-applicable

(6)	(7)
Male and Female candidates between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of thirty years in the case of general candidates and upto thirty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**1. Educational Qualification:-** Matriculation or equivalent with science as a main subject from a recognised Board or University. **2. Physical and Medical Standards :-** (a) Height : For males : 170 cms. For females: 157 cms. (b) Chest : For males : Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5 cms. For female : Not applicable (c) Weight: (For males and females) Proportionate to height and age as per Medical standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:- Height: Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. for male and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females. Chest: The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). Medical Standards: (a) Eye Sight: Better eye Worse eye N/9 (i) Near vision N/6 (Should be able to read with glasses for near vision) only. (ii) Distance vision: 6/6 6/9 (Visual correction of any kind is not permitted even by glasses). **Note:** In right handed person, the right eye is better

	eye and vice versa. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. 3. Must qualify the Physical efficiency and written test. 4. Should qualify Basic Recruit Training Course during probation period subject to extension by one year otherwise services shall be liable to be terminated. **5. Professional Qualifications:-** Should qualify the Junior Basic Communication Course within prescribed chances as amended from time to time.

(8)	(9)	(10)
Not-applicable	Two years	By absorption failing which by direct recruitment

(11)
Absorption : (i) Absorption of willing Constable (General Duty) who have rendered two years of regular service in the grade and are up to forty years of age and who are matriculation or equivalent pass with science as a main subject from a recognised Board or University and having successfully qualified Basic Recruits Training Course. (ii) Should qualify the Junior Basic Communication Course after absorption within prescribed chances as fixed from time to time.

(12)	(13)
Departmental Selection or Confirmation Committee (for considering selection or confirmation):- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal -Chairman; 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; and 3. Assistant Commandant (Communication), Sashastra Seema Bal -Member.	Not applicable.

[F. No. 17/5/SSB/CSC/Gp. 'B' & 'C'/2014/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 129.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i), में सा.का.नि. 665 (अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार काडर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007, को विखंडन करती है जिन्हें उन बातों के सिवाए ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 17/5/एसएसबी/सीएससी/समूह 'ख' और 'ग'/2014/एसएफएस]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव

New Delhi, the 23rd April, 2018

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article-309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Sashastra Seema Bal Combatised Telecommunication Cadre Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 665 (E), dated the 17th October, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 17/5/SSB/CSC/Gp 'B' and 'C'/2014/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली 9 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय, विधि एवं संधि प्रभाग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश मंत्रालय, विधि एवं संधि प्रभाग, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश मंत्रालय, विधि एवं संधि प्रभाग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 में –

(1) नियम 3 के लिए "3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

(2) अनुसूची में, -

(क) अपर सचिव (विधि एवं संधि) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 15 (182200-224100 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में-

(क) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों ''वेतन बैंड 4, 37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 10,000 रु." के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200 – 218200 रु.) को रखा जाएगा;

(ख) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों "वेतन बैंड 4, 37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 8700 रु." के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100 – 215900 रु.) को रखा जाएगा;

(ग) 'पदोन्नति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट 2 को हटा दिया जाएगा;

(घ) 'वांछनीय' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट को हटा दिया जाएगा;

(ख) संयुक्त सचिव (विधि एवं संधि) के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) के सामने -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर 14 (144200-218200 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में

(क) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों "वेतन बैंड 4, 37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 8700 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100 – 215900 रु.) को रखा जाएगा;

(ख) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों "वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. तथा ग्रेड वेतन 7600 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800 – 209200 रु.) को रखा जाएगा;

(ग) 'पदोन्नति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट 2 को हटा दिया जाएगा;

(घ) 'प्रतिनियुक्ति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट को हटा दिया जाएगा;

(ग) निदेशक (विधि एवं संधि) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" स्तर 13 (123100-215900 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में

(क) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों "वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. तथा ग्रेड वेतन 7600 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800 – 209200 रु.) को रखा जाएगा;

(ख) 'पदोन्नति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट 2 को हटा दिया जाएगा;

(ग) 'वांछनीय' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट को हटा दिया जाएगा;

(घ) विधि अधिकारी (ग्रेड-।) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने -

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर 12 (78800-209200 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में

(क) शब्दों, कोष्ठक एवं अंकों "वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. तथा ग्रेड वेतन 6600 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700 – 208700 रु.) को रखा जाएगा;

(ख) 'पदोन्नति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट 2 को हटा दिया जाएगा;

(ग) 'प्रतिनियुक्ति' उपशीर्ष के अंतर्गत, नोट को हटा दिया जाएगा;

(ड.) विधि अधिकारी (ग्रेड-।।) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

" स्तर 11 (67700-208700 रु.)"

[सं. क्यू/सीएडी/798/2/2017]

मनुस्मृति, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260 के द्वारा दिनांक 09 नवंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2014 की अधिूसचना संख्या सा.का.नि. 196 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th April, 2018

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of External Affairs, Legal and Treaties Division, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Ministry of External Affairs, Legal and Treaties Division, Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of External Affairs, Legal and Treaties Division, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2013,-

(1) for rule 3, "3. Number of posts, classification and level in pay matrix.–The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule";

(2) in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Additional Secretary (Legal and Treaties),-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 15 (Rs. 182200-224100)";

(ii) in column (11),-

(A) for the entries "Pay Band 4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10,000", the words "Level 14 (Rs. 144200 – 218200) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) for the entries "Pay Band 4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700", the words "Level 13 (Rs. 123100 – 215900) in the pay matrix" shall be substituted;

(C) under sub-heading 'Promotion', Note 2 shall be omitted;

(D) under sub-heading 'Desirable', Note shall be omitted;

(b) against serial number (2), relating to the post of Joint Secretary (Legal and Treaties), -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 14 (Rs. 144200-218200)";

(ii) in column (11),-

(A) for the entries "Pay Band-4, Rs. 37,400- 67,000 plus Grade Pay of Rs. 8700", the entries "Level 13 (Rs. 123100 – 215900) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) for the entries "Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600", the entries "Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(C) under sub-heading 'Promotion', Note 2 shall be omitted;

(D) under sub-heading 'Deputation', Note shall be omitted;

(c) against serial number 3, relating to the post of Director(Legal and Treaties), -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 13 (Rs. 123100-215900)";

(ii) in column (11),-

(A) for the entries "Pay Band-3, Rs. 15,600- 39,100 plus Grade Pay of Rs. 7600", the entries "Level 12 (Rs. 78800 – 209200) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) under sub-heading 'Promotion', Note 2 shall be omitted;

(C) under sub-heading 'Deputation', Note shall be omitted;

(d) against serial number 4, relating to the post of Legal Officer(Grade-I), -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 12 (Rs. 78800-209200)";

(ii) in column (11),-

(A) for the entries "Pay Band-3, Rs. 15,600- 39,100 plus Grade Pay of Rs. 6600", the entries "Level 11 (Rs. 67700 – 208700) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) under sub-heading 'Promotion', Note 2 shall be omitted;

(C) under sub-heading 'Deputation', Note shall be omitted;

(e) against serial number 5, relating to the post of Legal Officer(Grade-II), in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 11 (Rs. 67700-208700)".

[No. Q/CAD/798/2/2017]
MANUSMRITI, Under Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 9th November, 2013 vide notification number G.S.R. 260, dated the 31st October, 2013 and was subsequently amended vide notification number G.S.R. 196, dated the 4th September, 2014.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (लोहार) भर्ती नियम, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में लुहार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, लुहार समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2018 है।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
लुहार	11* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19900)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
अचयन	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप **अथवा** लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन ; और (ii) वेल्डर/फिटर/मैकेनिक(मोटर/डीजल/ट्रैक्टर) के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र; (iii) किसी सरकारी / अर्धसरकारी / स्वायत्त संगठन / लिमिटेड कंपनी में डीजल और गैसोलिन इंजन ड्रिल्लिंग रिग्स मानों के प्रचालन, अनुरक्षण और पूरी मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनूसूचित जतियों और अनूसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
1. पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 2. पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति**: केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसा हथोड़े वाला जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **प्रशिक्षण**: राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से ड्रिल्लिंग और अनुषंगी उपस्करों के अनुरक्षण का स्तर -1 का दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी — सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमे निम्नलिखित होंगे:** 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-31013/05/2017-सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Blacksmith, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Blacksmith in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Blacksmith, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of said post, its classification, and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Blacksmith	11 * (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900) in the pay matrix.	Non-selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be	**Essential:** (i) Matriculation from recognised Board; and (ii) Industrial Training Institute Certificate in the trade of Welder/Fitter, Mechanic (Motor/Diesel/ Tractor).	Not applicable	Two years for direct recruits

the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tipura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.	(iii) One year experience in operation, maintenance and overhauling of diesel and gasoline engine drilling rigs vehicles from Government/Semi Government/Autonomous organization/Limited Company. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grade from which promotion / deputation / absorption to be made
(10)	(11)
(i) Twenty five per cent by promotion failing which by direct recruitment. (ii) Seventy five per cent by direct recruitment.	**Promotion:** Hammerman in the Central Ground Water Board in Level-1 (Rs.18000) in the pay matrix with three years regular service in the grade. **Training:** Two weeks training in maintenance of drilling and ancillary equipment level-1 is mandatory from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation periods.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. A Group 'A' Officer from another Central Government Department – Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board - Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable.

[F. No. A.-31013/05/2017/CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 हैं"

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती नियम, 2011 में,-

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं"।

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन)	*24 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900) में स्तर—7

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंण्ड त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या कृषि रसायन या मृदा विज्ञान में मास्टर डिग्री। **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **वांछनीय :** मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से भूमिगत जल विश्लेषण और भूमिगत जल रसायन में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती : (पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी)।	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर और विभाग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स (35400 रुपए) के स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष 56 से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव — सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-31012/07/2017/सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164, तारीख 28 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical) Recruitment Rules, 2011,-

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) for the Schedule, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Technical Assistant (Chemical)	24* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Governent servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** Master's degree in Chemistry or Agricultural Chemistry or Soil Science from a recognised University. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Desirable :** Two years experience in Ground Water Analysis and Ground Water Chemistry from a recognized Institute or Organistion.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(10)	(11)
Direct Recruitment: (Vacancies causes by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government). **Deputation:** Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400) as per the 7th Central Pay	Not applicable

Commission in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direcr recruits under Column 7. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short, term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group-B Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board - Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. Director or Deputy Secretary concerned in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-31012/07/2017/CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 164 dated the 28th May, 2011.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में,-

I नियम 2, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

II अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”
(4)
वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रु.) में स्तर 6”;

(ख) स्तंभ (11) में, प्रोन्नित शीर्षक के अधीन, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों “वेतन बैंड- 1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर-5” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. 35/5/2009-ई-1 खंड]

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 304, तारीख 25 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Staff Car Driver (Special Grade), Group ‘B’ Post, Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Staff Car Driver (Special Grade), Group ‘B’ Post, Recruitment Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Staff Car Driver (Special Grade), Group ‘B’ Post, Recruitment Rules, 2011,-

I. For rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

II. in the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400)”;

(b) in column (11), under the heading Promotion, for the words, brackets and figures “pay band – 1, Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800”, the words, brackets and figures “Level 5 (Rs.29,200 – 92,300) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(c) in column (11), Note 2 shall be omitted.

[F. No. 35/5/2009-E-I Section]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 304 dated the 25th Feburary, 2011 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 5th November, 2011.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 134.—इसका संदर्भ भारत का राजपत्र (साप्ताहिक) के जून 18-24, 2017 की अवधि के अंक 24 में भाग-II, धारा-3, उप-धारा (i) सा.का.नि. 218 में प्रकाशित अधिसूचना से है जिसके तहत वा.जा.सां.म.नि. कोलकाता में सहायक निदेशक (राजभाषा) के भर्ती नियमों का प्रकाशन किया गया था। पूर्व में द्विभाषी रूप में प्रकाशित 11 कॉलम की 'अनुसूची' की अधिसूचना को अधोलिखित 13 कॉलम की 'अनुसूची' से प्रतिस्थापित कर लिया जाए।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (राजभाषा)।	1* *(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 में रु. 56,100-रु.1,77,500 के समरूपी

चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा अन्य शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।
(9)	(10)
पदोन्नतो के मामले में 2 वर्ष।	[मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) धन पदोन्नति]।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है ।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) धन पदोन्नति : केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अर्धशासी/ सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी । (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी ; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में रु. 47,600 – 1,51,100/- अथवा समतुल्य पर नियमित आधार पर

नियुक्ति के उपरांत दो वर्षों की सेवा; अथवा

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में रु. 44,900 – 1,42,400/- अथवा समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत तीन वर्षों की सेवा; एवम्

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम एवं अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम एवं अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों में से कोई भी परीक्षा के माध्यम में तथा अन्य अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) केन्द्र/राज्य सरकारों/ स्वायत्तशासी निकाय /सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत विशेषत: तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य के हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी अथवा *प्रतिलोमत:* अनुवाद कार्य में तकनीकी शब्दावली (तकनीकी कार्य) के प्रयोग/ अनुप्रयोग का तीन वर्ष का अनुभव।

अथवा

केन्द्र/राज्य सरकारों/ स्वायत्तशासी निकाय /सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत हिन्दी तथा अंग्रेजी का शिक्षण या हिन्दी अथवा अंग्रेजी में शोध कार्यों का तीन वर्षों का अनुभव।

वांछनीय :

हिन्दी के सिवाय संविधान की 8वीं अनुसूची में से एक भाषा का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर तक का अध्ययन।

टिप्पणी 1 : वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में रु. 44,900 – 1,42,400/- में तीन वर्षों की नियमित सेवा सह दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण वाले विभागीय वरिष्ठ अनुवादक पर भी बाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा तथा यदि वह चयनित होते/होती हैं तो पद को पदोन्नति के आधार पर भरा हुआ माना जायेगा।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो संरचना क्या है ?	परिस्थितियां जिनके तहत भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय के संघटकः स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. महानिदेशक – अध्यक्ष 2. निदेशक – सदस्य 3. उपनिदेशक (प्रशासन) – सदस्य	पद के भरे जाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 5(1)/2012-स्था.-I/435]

शुभजीत रॉय, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th April, 2018

G.S.R. 134 .—This has reference to notification in the Official Gazette of India (weekly) issues No. 24 of the period June 18-24, 2017 in Part-II, Section- 3, Sub-section (i) G.S.R. No. 218 under which the Recruitment Rule for the post of Assistant Director (Official Language) in DGCI&S, Kolkata was published. The 11 column 'Schedule' of the bilingual notification published earlier may be replaced with the 13 column 'Schedule' given below.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Director (Official Language).	1 * (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix Rs. 56,100-Rs.1,77,500

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for promotees.	By Composite Method [Deputation (including short term contract) plus promotion].

In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation (including short term contract) plus promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi Government or statutory or autonomous organisations,

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in the pay matrix Rs. 47,600 – 1,51,100/- or equivalent in the parent cadre or department;

or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix Rs. 44,900 – 1,42,400/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

Essential:

(i) Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

(ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice-versa*, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutions or recognised educational institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations;

Or

Three years' of experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutions or recognised educational institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations.

Desirable:

Studied one of the language other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10^{th} standard from a recognised Board.

Note 1: The departmental Senior Translator in level 7 in the pay matrix Rs. 44,900 – 1,42,400/- with three years' regular service in the grade and have successfully completed the training of two-four weeks shall also be considered along with outside officers and in case, such person is selected, the post shall deemed to have filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Confirmation Committee exists what is the composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director General – Chairman (2) Director –Member (3) Dy. Director (Administration) – Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F. No. 5(1)/2012-Estt.-I/435]

SUBHAJIT ROY, Jt. Director/Head of Office

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

सा. का. नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी) संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पुसतकालय सहायक और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'2.पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।'

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में,-

(अ) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर";

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 ₹ 44900-142400";

(ख) स्तंभ (II) में,-

(क) उपशीर्षक के अधीन "संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और प्रोन्नति" मद (क), उपमद के स्थान पर निम्नलिखित उप मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) वेतन मैट्रिक्स ₹ 35400-112400 रुपए में स्तर 6 या समतुल्य में मूल संवर्ग या विभाग में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;";

(ख) टिप्पण 4 और टिप्पण 5 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ई.-I]

राजिन्दर कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177, तारीख 18 जुलाई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 20th April, 2018

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, (Assistant Library and Information Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2013 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4),-

A. for heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix or pay scale.";

B. for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 7 in the pay matrix ₹ 44900-142400.";

(b) in column (11),-

A. under the sub-heading 'Composite method deputation (ISTC) plus Promotion', in item A, for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix ₹ 35400 – 112400 or equivalent in the parent cadre or Department;";

B. Notes 4 and Notes 5 shall be omitted.

[F. No. A-12018/1/2011-E.-I]

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 177, dated the 18th July, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.14 16:09:33 +05'30'